न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2023 बउनवानी रामस्वरूप साहू बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण साहू निवासी प्रेम मंदिर सिनेमा के सामने टोंक रोड़ बजरिया,स0मा0

GCMS No-2023/106

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
31.8.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.5.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः—

1. आवेदक ने दिनांक 24.4.2023 को हम्मीर पूल की चौडाई बढाने पर प्रार्थी के कार्मिशियल मकान के रास्ते बन्द कर देने के कारण दुकान का सम्पूर्ण मुआवजा राशि दिलाये जाने बाबत अर्जी श्रीमान जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत की गयी जिस पर जो मुआवजा प्रार्थी को दिये जाने की कार्यवाही की गयी उसकी सम्पूर्ण कार्यवाही की सूचना चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/सूकाअ/2023/2078 दिनांक 17.08.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उक्त हम्मीरपुल की चौडाई बढाने पर प्रार्थी के प्रार्थी के कार्मिशियल मकान का रास्ता अवरूद्व हो जाने के कारण मुआवाजा बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक भूमि अवाप्ति/2023/953 दिनांक 28.4.2023 से कार्यकारी ऐजेन्सी अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय वृत्त जयपुर से रिपोर्ट चाही जाने पर अवगत कराया कि पूर्व में प्रार्थी रामस्वरूप साहू की दुकान अवाप्त नही की जानी थी किन्तु बाद में आवश्यकता होने पर अवाप्त की जाने वाली भूमि का पुनः सर्वे कराये जाने हेतु अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 122 दिनांक 8.5.2023 द्वारा मुख्य अभियंता (एन.एच.पी.पी.) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। उक्त स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को भी मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी। अतःअपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.5.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2079 दिनांक 17.8.2023 से [illegible] की है। चूंकि अपीलान्ट को उक्त सूचना अधिनियम की तय सीमा के उपरान्त [illegible] करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया [illegible] के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर प्राथमिकता से व्यक्तिगत ध्यान [illegible] कर अधिनियम की तय समय सीमा में निस्तारण किया जावे। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:43:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner